सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 26, शुक्रवार, शाके 1944-मार्च 17, 2023 *Phalguna 26, Friday , Saka 1944- March 17, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 09, 2023

संख्या प.4(05)कृषि/ग्रुप-2/2016 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 21.07.1967 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, चिडावा की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, चिडावा द्वारा मण्डी क्षेत्र में ग्राम खेमू की ढाणी में फल-सब्जी गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम खेंमू की ढाणी में फल-सब्जी गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व में- कृषि उपज मण्डी समिति, चिडावा तक।

पश्चिम में -खेमूं की ढाणी चिडावा को जाने वाली सडक तक।

उत्तर में- जयपुर चिडावा की मुख्य सडक तक।

एवं दक्षिण में- खेमूं की ढाणी चिडावा तक।

फल-सब्जी गौण यार्ड खेमू की ढाणी की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकाने एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

4275

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।